मुख्यमंत्री ने बी.एस.एफ. की कोडेवाला सीमा चौकी का दौरा किया

बी.एस.एफ. कर्मी हमारी सीमा पर तस्करी, घुसपैठ जैसे अपराधों को मुस्तैदी से नाकाम कर रहे हैं-भजनलाल

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल ने बी.एस.एफ. जवानों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि बी.एस.एफ. ने मरूभूमि में साढ़े छह लाख पौधे लगा कर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र में सराहनीय योगदान दिया है।**

बीकानेर, 14 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे जवान अपने अदम्य शौर्य, साहस और बल से बर्फीली वादियों-तपते मरुस्थल सहित, देश के हर कोने में दिन-रात मुस्तैदी से सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीएसएफ अनुशासित व देश सेवा को समर्पित दुनिया के सबसे बड़े सीमा रक्षक बलों में से एक है। वे हमारी सीमा पर तस्करी, घुसपैठ जैसे अपराधों को भी मुस्तैदी के साथ नाकाम कर रहे हैं।

शर्मा 79वें स्वतंत्रता दिवस से पूर्व बीकानेर में खाजूवाला के कोडेवाला आउट पोस्ट (सीमा चौकी) पर बीएसएफ के जवानों को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने बीएसएफ जवानों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बीएसएफ के जाबांजों के बीच आकर उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता व गर्व की अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा, बीएसएफ ने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय अद्भुत कार्य किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने के लिए जवानों को बधाई दी।

उन्होंने कहा कि बीएसएफ ने हाल ही में मरुभूमि में साढ़े छह लाख पौधे लगाकर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने में अपना सराहनीय योगदान दिया है।

मुख्यमंत्री ने कोडेवाला पोस्ट का दौरा किया एवं दूरबीन से सीमा का अवलोकन किया तथा पोस्ट पर एंटी ड्रोन सिस्टम तथा रक्षा उपकरणों की जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने जवानों एवं अधिकारियों से भी मुलाकात की और स्वाधीनता दिवस की बधाई देते हुए फल वितरित किए। मुख्यमंत्री को महिला प्रहरियों ने रक्षा सूत्र भी बांधे।

किश्तवाड़ में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के पहाड़ 1,818 मीटर से लेकर 3,888 मीटर तक ऊंचे हैं। इतनी ऊंचाई पर ग्लेशियर (बर्फ की चादर) और ढलानें हैं, जो पानी के बहाव को तेज करती हैं। मचैल माता तीर्थयात्रा हर साल अगस्त में होती है। इसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं। यह यात्रा 25 जुलाई से 5 सितंबर तक चलेगी। यह रूट जम्मू से किश्तवाड़ तक 210 किमी लंबा है और इसमें पद्दर से चशोटी तक 19.5 किमी की सड़क पर गाड़ियां जा सकती हैं। उसके बाद 8.5 किमी की पैदल यात्रा होती है। सेना के जम्मू स्थित जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) ने गुरुवार को बताया कि चिसोटी गांव में बादल फटने से प्रभावित क्षेत्र में सेना राहत पहुंचाई।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की हवा निकाली

■ **अब तक चुनाव आयोग, इस बात पर अड़ा हुआ था कि कानूनन वह बाध्य नहीं है, उन व्यक्तियों के नाम बताने के लिए जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाये गये हैं, और क्यों हटाये गये हैं।**

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अगस्त । बिहार, जहाँ 65 लाख से अधिक वोटरों के नाम हटाने को लेकर विवाद चल रहा था, को अचानक राहत मिली है।

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस अवसर पर सामने आकर अहम कदम उठाते हुए चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है।

इसके साथ ही, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सभी विपक्षी पार्टियों को साथ लेकर मोदी सरकार के खिलाफ वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (एसआईआर) के मुद्दे पर जोरदार मोर्चा खोल रखा है और मानसून सत्र के बड़े हिस्से में संसद नहीं चलने दी।

वोट में हेरफेर कर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को फायदा पहुंचाने की कोशिश ने चुनाव आयोग की भूमिका को उजागर कर दिया है, जो लगातार भाजपा के लिए काम करता दिख रहा है।

कांग्रेस ने इस आधार पर आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव आयोग के जरिए वोट चोरी कर रही है। कांग्रेस ने पूछा कई चुनाव क्षेत्रों में वोट चोरी हुई है तो क्या 2024 का जनादेश बदला जाएगा?

आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मुश्किल में डाल दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग से कहा कि बिहार में हटाए गए 65 लाख वोटरों की पूरी सूची, नाम हटाने के कारणों के साथ, मंगलवार तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाए। अदालत ने यह भी कहा कि इस सूची को सार्वजनिक किया जाए, ताकि हर वोटर इसे देख सके।

एक अहम फैसले में, अदालत ने कहा कि जिन लोगों के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं, वे अपने आधार कार्ड की कॉपी के साथ दावा पेश कर सकते हैं। यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि याचिकाओं में आधार को पहचान के प्रमाण के रूप में मान्य नहीं करने का मुद्दा उठाया गया था, तथा कहा गया था कि इससे अनेकानेक वोटर प्रभावित होंगे।

बिहार में होने वाले चुनावों को से सम्बन्धित स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव आयोग के मुताबिक, सूची से हटाये गये 65 लाख में से 22 लाख लोग मर चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाया- "अगर 22 लाख लोग मर चुके हैं, तो यह बूथ स्तर पर क्यों नहीं बताया गया? हम नहीं चाहते कि नागरिकों के अधिकार राजनीतिक पार्टियों पर निर्भर हों।"

अपने आदेश में बैंच ने कहा- "हमने चुनाव आयोग की संक्षिप्त सुनवाई की। सुनवाई के दौरान निम्न कदम उठाने पर सहमति बनी: अंतरिम व्यवस्था के तहत, ईसी ये कदम उठायेगा: 2025 की सूची में जिन 65 लाख वोटरों के नाम थे लेकिन मसौदा सूची में नहीं हैं, उनकी सूची ज़िला स्तर की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।" आदेश के मुताबिक, इस सूची में नाम हटाने का कारण भी लिखा होगा। "स्थानीय भाषा के सबसे अधिक प्रसार वाले अखबारों में इसका व्यापक प्रचार होगा और इसे दूरदर्शन व अन्य चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। यदि जिला निर्वाचन अधिकारी का सोशल मीडिया अकाउंट है, तो वहां भी नोटिस डाला जाएगा।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने निर्देश पढ़कर सुनाया, "पीड़ित लोग अपने आधार कार्ड की कॉपी के साथ अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा, 65 लाख वोटरों की बूथ-वार सूची सभी पंचायत भवनों, ब्लॉक विकास कार्यालयों और पंचायत कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी, ताकि लोग इसे व्यक्तिशः देख सकें। यह फैसला बिहार के वोटरों के लिए बड़ी राहत है और बिहार में धांधली रोकने के

अवकाश की सूचना

राष्ट्रदूत कार्यालय में 15 अगस्त 2025 को अवकाश रहेगा। अतः अगला अंक 17 अगस्त 2025 को प्रकाशित होगा। **-सम्पादक**

बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की नौबत आ सकती है!

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अगले मंगलवार तक, चुनाव आयोग को मतदान सूची से काटे गये 65 लाख नाम छापना व हर नाम के साथ नाम काटने का कारण बताना, असम्भव काम है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अगस्त। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग (इलेक्शन कमीशन-ईसी) को निर्देश दिये हैं कि बिहार की मतदाता सूची से हटाये गये 65 लाख मतदाताओं का विवरण अगले मंगलवार तक प्रकाशित कर दिया जाये। सर्वोच्च अदालत के इस निर्देश से चुनाव आयोग के लिये गंभीर संकट पैदा हो गया है तथा चुनावाधीन राज्य बिहार में संवैधानिक संकट की आशंका बढ़ गई है।

ईसी के अन्दरुनी सूत्रों के अनुसार, एक सप्ताह से भी कम समय में इतने बड़े डेटा सेट को एकत्रित करना, सत्यापित करना और सार्वजनिक रूप से जारी करना "लगभग असंभव" है। विभिन्न याचिकाओं की दो महीने की सुनवाई के बाद तय की गई समय सीमा से आयोग पर तो भारी दबाव पड़ ही गया है, केन्द्र सरकार भी असहज स्थिति में आ गई है।

ईसी के एक पूर्व शीर्षस्थ अधिकारी ने, नाम न बताने की शर्त पर, कहा कि यह निर्देश बिहार को संवैधानिक संकट की ओर धकेल सकता है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है और उससे पहले चुनाव कराना अनिवार्य है, अन्यथा सरकार न होने की स्थिति (गवर्नेन्स वैक्यूम) पैदा हो सकती है। अगर मतदाता सूची समय पर तैयार नहीं होती, तो चुनाव कार्यक्रम पटरी से उतर सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की सूची तैयार करना और उसे प्रकाशित करना एक विशाल कार्य है। इसके लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के रिकॉर्ड को क्रॉस-चेक करना, डेटा का डिजिटलीकरण करना और प्रत्येक विलोपन के लिए स्पष्टीकरण देना जरूरी होगा।

एक पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, "अगर पूरी मशीनरी भी लगा दी जाए, तब भी इस कार्य के लिये न्यूनतम पांच सप्ताह से दो महीने तक का समय चाहिये। इसे कुछ ही दिनों में करना न केवल अव्यवहारिक है, बल्कि तकनीकी रूप से असंभव भी है।"

ईसी को यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि डेटा सटीक और कानूनी रूप से सही हो, क्योंकि किसी भी गलती से आगे और मुकदमेबाजी हो सकती है। हर एक हटाए गए नाम के लिए कारण बताना-जैसे मृत्यु, पता परिवर्तन, नाम की पुनरावृत्ति या अन्य-इस कार्य को और ज्यादा जटिल बनाता है।

बिहार में दांव बहुत ऊंचे हैं, जहां इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। यदि मतदाता सूची समय पर तैयार नहीं होती, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा में देरी कर सकता है।

एक वरिष्ठ चुनावी कानून विशेषज्ञ ने कहा, "अगर अंतिम मतदाता सूची तैयार नहीं होती, तो चुनाव प्रक्रिया अधिसूचित नहीं की जा सकती। इसका अर्थ है कि विधानसभा 22 नवंबर तक गठित नहीं हो सकेगी, जिससे संवैधानिक संकट उत्पन्न होगा।"

ऐसी स्थिति में, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, राज्य में उस समय तक राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, जब तक कि चुनाव संपन्न न हो जाएं। पर्यवेक्षक मानते हैं कि यह एक अभूतपूर्व स्थिति होगी, जो सीधे न्यायिक आदेश से उत्पन्न हो सकती है।

केन्द्र सरकार, भले ही मतदाता सूची की तैयारी के लिए सीधे जिम्मेदार न हो, लेकिन अगर बिहार में चुनाव टलते हैं तो उसे इस स्थिति के राजनीतिक नतीजों का सामना करना पड़ेगा। राष्ट्रपति शासन की ओर उठाया जाने वाला कोई भी कदम राज्य की तीव्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए एक विवादास्पद मुद्दा बन सकता है।

फिलहाल, सभी की निगाहें चुनाव आयोग के अगले कदमों पर हैं-क्या वह सुप्रीम कोर्ट से समय वृद्धि की मांग करेगा? कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि आयोग के पास और अधिक समय मांगने के अलावा संभवतः अन्य कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि जल्दबाज़ी में विवरण सहित सूची तैयार करने में ऐसी गलतियाँ हो सकती है जो चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास डगमगाने का खतरा पैदा कर सकती हैं।

समय की रफ्तार के साथ यह स्थिति एक विरल टकराव का रूप ले रही है-जहां न्यायिक आदेश, संवैधानिक समयसीमाएं और देश की चुनावी मशीनरी की प्रशासनिक सीमाएं आमने-सामने हैं।

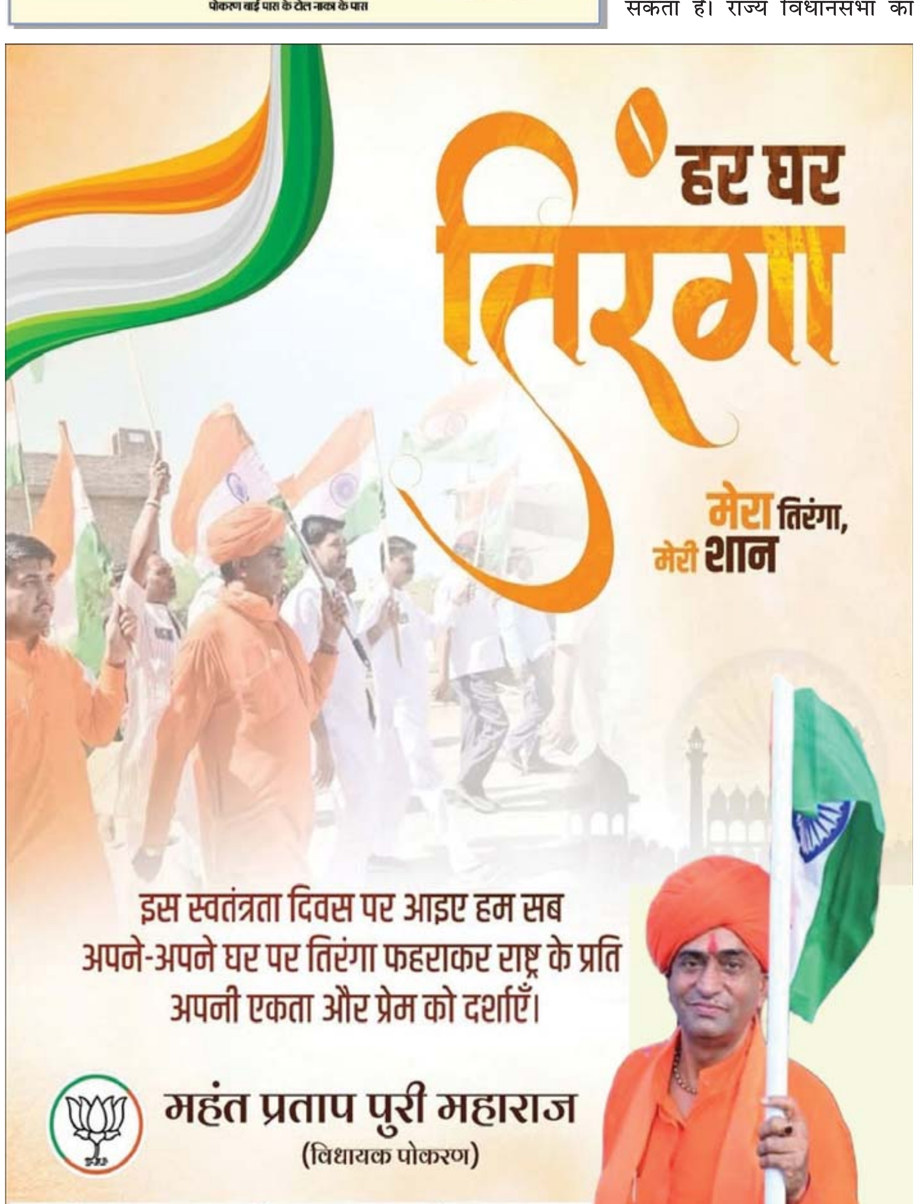

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908